E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–32/2025.....7324 पटना, दिनांक :– 08/12/2025

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 5379 दिनांक 25.08.2025 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री विभुति कुमार (Emp. ID No.- AEN07840), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम–8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :–

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 578 दिनांक 18.08.2025 द्वारा श्री विभूति कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN07840) के विरूद्ध तथाकथित विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ के सचिव के रूप में दिनांक 16.08.2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करने एवं अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सरकार के विरूद्ध भ्रमित कर हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित का आरोप लगाते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 4503 दिनांक 18.08.2025 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा अपने अनुचित मांगो के समर्थन में तर्कहीन, बेबुनियाद एवं अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

संविदा समाप्ति संबंधी आदेश में उल्लेखित है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनों/रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें इनकी भी भूमिका निर्धारित की गयी थी। उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही तथाकथित विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ के तथाकथित सचिव की हैसियत से अपने अनुचित मांगो को लेकर हड़ताल का इनके द्वारा आह्वान किया गया।

साथ ही इनके मांगो के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किया गया है कि इनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के तहत हुई है। उल्लेखनीय है कि नियमावली के अनुरूप प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है एवं पदों का सृजन संविदा आधारित है जो एक निश्चित अवधि तक (यथा योजना अवधि तक) के लिए ही किया गया है।

नियोजन के पूर्व इनके द्वारा Terms of Assignment हस्ताक्षरित किया गया है एवं एतद् संबंधी घोषणा इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं हस्ताक्षरित कर दिया गया है, जिसमें यह भी अंकित है कि "Terms of Assignment की सभी कंडिकाओं को पढ़ व समझ लिया हूँ और मैं Terms of Assignment में लिखी गयी सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता हूँ"।

इसके बावजूद राज्य के सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सरकार के विरूद्ध भ्रमित करते हुए हड़ताल में जाने हेतु उकसाया गया। जबकि ये अवगत हैं कि महाअभियान आमजनों की समस्याओं के समाधान हेतु संचालित किया गया है, इसके बावजूद सोची समझी तैयारी के तहत सरकार के महत्याकांक्षी महाअभियान में बाधा उत्पन्न करने का इनके द्वारा असफल प्रयास किया गया है।

साथ ही तथाकथित संघ के तथाकथित प्रतिनिधि मंडल द्वारा निदेशालय में उपस्थित होकर अपने मांगो से अवगत कराया गया था, जिसके संदर्भ में निदेशक द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि आपका संघ कर्मचारी संघ के रूप में वैध नहीं है एवं आपके द्वारा जिन मांगो को रखा जा रहा है, वह विभाग द्वारा संविदा नियोजन हेतु प्रावधानित नियमावली के अनुरूप नहीं है तथा आपका मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। साथ ही साथ इन्हें यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी सहभागिता निर्धारित है। इस हेतु निदेशालय पत्रांक 4499 दिनांक 14.08.2025 द्वारा पूर्व में ही इन्हें तथाकथित संघ की मान्यता तथा हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने की हिदायत दी गयी थी, क्योकि इनके तथाकथित संघ की मान्यता विधि द्वारा स्थापित नियम के विपरीत है। किसी भी सरकारी कर्मियों के लिए संघ की मान्यता मंत्रिमंडल सचिवालय स्तर पर निर्धारित होती है। इनके द्वारा निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य विभाग द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निबंधित कराकर संघ का गठन किया गया है एवं तथाकथित सचिव के नाते संविदा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को हड़ताल में जाने हेतु आह्वान करते हुए धरना प्रदर्शन में भाग लिया गया है। इनके कार्यो का आकलन निदेशालय स्तर पर संधारित वेबसाईट पर अपलोडेड MIS के आधार पर किया गया है। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनका कार्य भी संतोषजनक नहीं है। उपरोक्त आरोपों के आलोक में अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। मात्र संघ के बहकावे में आकर हड़ताल में शामिल हो गये थे एवं इसके सचिव के रूप में नामित हो गये थे, जिसके लिए क्षमा याचना की गयी। साथ ही इनका यह भी कथन है कि भविष्य में हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के संबंध ये अपना Self Affidavit दे रहे हैं।

निदेशालय द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि संविदा समाप्ति के पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा हड़ताल के दौरान विभिन्न मिडिया चैनलो, सोशल मिडिया एवं अन्य ऑनलाईन माध्यम से सरकार एवं विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की गयी है एवं अन्य संविदा कर्मियों को हड़ताल में जाने के लिए उकसाने, धमकाने का कार्य किया गया है। साथ ही हड़ताल से वापस आए कर्मियों को भी डरा कर धमका कर पुनः हड़ताल में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया है।

निदेशालय द्वारा गठित मंतव्य के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि इनके द्वारा इस तरह कोई भी कृत्य नहीं किया गया है। मात्र हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल होने की भूल इनके द्वारा की गयी है।

अभिलेख के अवलोकन, लगाए गए आरोप, अपीलार्थी के कथन एवं निदेशालय के मंतव्य की विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा अपनी भूल को स्वीकार किया गया है तथा क्षमा याचना की गयी है एवं भविष्य में हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का Self Affidavit दिया गया है। इस आलोक में इन्हें एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचना के आलोक में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा निर्गत आदेश संख्या–5379 दिनांक–25.08.2025 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए बंदोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से इनको संविदा में पुर्ननियोजित किया जाता है।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–32/2025..7324.. **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–32/2025..7324.. **पटना, दिनांक** :– 08/12/2025

प्रतिलिपि :– श्री विभुति कुमार (Emp. ID No.- AEN07840), संविदा समाप्त विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

05/12/25
सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–32/2025..7324.. **पटना, दिनांक** :– 08/12/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/12/25
सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–32/2025..7324.. **पटना, दिनांक** :– 08/12/2025

प्रतिलिपि :– प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/12/25
सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप